THINK IAS JOIN SAMYAK

Samyak
An Institute For Civil Services

DAILY CURRENT नामा

31 जुलाई

9875170111
SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

मुख्य परीक्षा से संबंधित

वृद्धावस्था एवं उससे संबंधित समस्याएं

सुर्खियों में क्यों ?

- पूर्वी और दक्षिण एशियाई समाजों की एक महत्वपूर्ण विशेषता पश्चिमी देशों की तुलना में वृद्धावस्था की तीव्र गति है।
- पश्चिम में सौ वर्षों में वृद्ध व्यक्तियों के अनुपात में जो वृद्धि देखी गई, वह दक्षिण और पूर्वी एशिया में मात्र 20-30 वर्षों में हुई है।
- मध्यम और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में यह तीव्र गति चुनौतियां प्रस्तुत करती है जो विशेष रूप से वृद्धों के लिए अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, जिसमें पेंशन और स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल सेवाओं तक पहुँच शामिल है। एकल परिवारों की प्रथा का प्रसार स्थिति को और भी बदतर बना देता है।

भारत के संबंध में

- राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार, भारत की जनसंख्या में बुजुर्गों की हिस्सेदारी, जो 2011 में लगभग 9% थी, तेजी से बढ़ रही है और 2036 तक 14% तक पहुंच सकती है। यदि भारत को निकट भविष्य में बुजुर्गों के लिए एक गुणवत्ता युक्त जीवन सुनिश्चित करना है, तो इसके लिए प्रावधान अभी से सोचने होंगे।
- कई पूर्वी एशियाई देशों ने इस वास्तविकता को स्वीकार किया है और इससे निपटने के लिए नीतियां विकसित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने विभिन्न बीमा योजनाओं सहित वित्तीय निवेशों के माध्यम से स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल को एकीकृत किया है और सामुदायिक स्तर पर ऐसे संस्थानों को मजबूत किया है। इसके विपरीत, भारत ने वृद्ध व्यक्तियों की ज़रूरतों को अधिक प्राथमिकता नहीं दी है।

वृद्ध होती जनसंख्या से जुड़ी समस्याएं

- **सामाजिक -**
    - औद्योगीकरण, शहरीकरण, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, शिक्षा और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप, पारंपरिक मूल्य और संस्थाएँ क्षरण की प्रक्रिया में हैं। इसके परिणामस्वरूप अंतर-पीढ़ीगत संबंध कमजोर हो रहे हैं जो पारंपरिक परिवार की पहचान थे।
    - औद्योगीकरण ने साधारण पारिवारिक उत्पादन इकाइयों की जगह बड़े कारखानों ने ले ली है।
    - बुजुर्गों में शक्तिहीनता, अकेलापन, बेकारपन और अलगाव की भावना।
    - बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार एक बढ़ती हुई समस्या है।

- ***आर्थिक –***
  - *सार्वभौमिक सार्वजनिक पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा या सामाजिक देखभाल प्रावधान का अभाव। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के विपरीत, भारत में सार्वभौमिक सार्वजनिक पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा या सामाजिक देखभाल प्रावधान का अभाव है।*
  - *मौजूदा स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक कल्याण योजनाएँ केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों पर लक्षित हैं।*
  - *भारत में अनुदैर्ध्य वृद्धावस्था सर्वेक्षण (LASI) के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियों जैसी गैर-संचारी बीमारियों के कारण कई बीमारियों से पीड़ित हैं। सर्वेक्षण में वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण के सामाजिक निर्धारकों में भिन्नता को उजागर किया गया है। वृद्ध व्यक्तियों का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, पेंशन या आय सहायता के अन्य रूपों के लिए अपात्र हैं।*
  - *केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) या रोजगार राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) जैसे अन्य सरकारी बीमा कार्यक्रम केवल सरकारी कर्मचारियों और संगठित क्षेत्र के लोगों को कवर करते हैं।*
  - *लंबी प्रक्रिया अवधि और अस्वीकृति के कारण वृद्ध व्यक्तियों को बीमा का दावा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।*
  - *सेवानिवृत्ति और बुनियादी जरूरतों के लिए बुजुर्गों का अपने बच्चों पर निर्भर रहना। इलाज पर जेब से होने वाले खर्च में अचानक वृद्धि हो जाती है ।*
  - *ग्रामीण क्षेत्रों से युवा, कामकाजी आयु वर्ग के लोगों के पलायन का बुजुर्गों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे आमतौर पर गरीबी और संकट में रहते हैं।*
- ***स्वास्थ्य संबंधी-***
  - *लॉन्गीट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ़ इंडिया (LASI),2021 के अनुसार*
    - *भारत में हर पाँच में से एक बुजुर्ग व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है।*
    - *उनमें से लगभग 75 प्रतिशत लोग किसी न किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं।*
    - *40 प्रतिशत लोग किसी न किसी तरह की विकलांगता से पीड़ित हैं।*
  - *बीमार और कमज़ोर बुजुर्गों की*

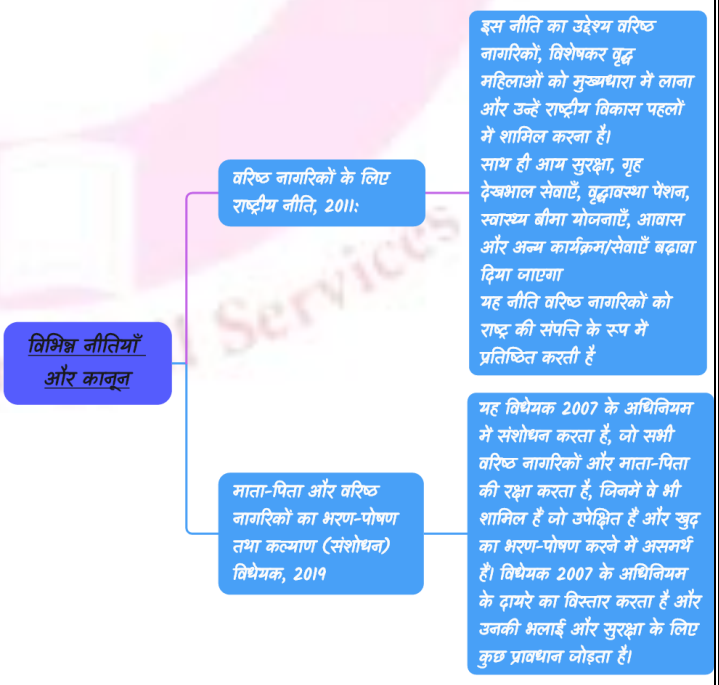

संख्या में वृद्धि होने के कारण किफायती नर्सिंग होम या सहायता केंद्रों की ज़रूरत बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में वृद्धावस्था देखभाल सुविधाओं का अभाव एक चिंताजनक मुद्दा है।

- 30% से 50% बुजुर्ग लोगों में ऐसे लक्षण पाए गए जो उन्हें अवसादग्रस्त बनाते हैं। अकेले रहने वाले बुजुर्गों में से ज़्यादातर महिलाएँ हैं, ख़ास तौर पर विधवाएँ।

वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उपाय

- **संवैधानिक:**
  - समानता का अधिकार संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीकृत है, जबकि सामाजिक सुरक्षा केंद्र और राज्य सरकार की समवर्ती जिम्मेदारी है।
  - वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार के कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग IV के अनुच्छेदों के तहत किया गया है, जो राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अनुरूप है।
  - भारतीय संविधान अनुच्छेद 41 - राज्य अपनी आर्थिक सामनर्थ और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, **बुढ़ापा**, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

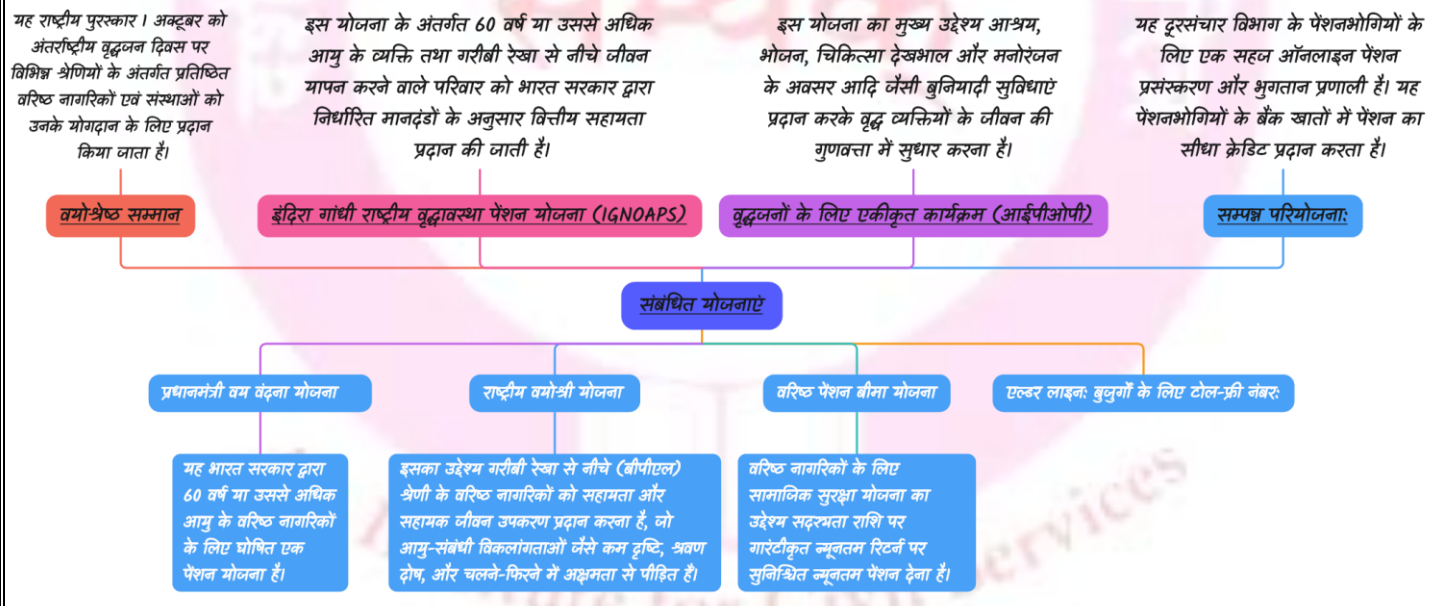

वायनाड, केरल में भूस्खलन

सुर्खियों में क्यों ?

- केरल के वायनाड जिले के व्यथिरी तालुक में भूस्खलन की वजह से तीन गांव तबाह हो गए, जिसमें कम से कम 122 लोगों की मौत हो गई और 197 लोग घायल हो गए।

- *मुंदक्कई, चूरलमाला और अट्टामाला इलाकों में राज्य और केंद्रीय बलों की मदद से गहन बचाव अभियान जारी है।*

<u>क्या कारण बताए गए?</u>

- *सरकार ने प्रभावित गांवों से 6 किलोमीटर दूर, इरुवानीपुझा नदी के पास, जलमग्न पहाड़ी को भूस्खलन का स्रोत बताया है।*
- *इस बीच वैज्ञानिकों ने बताया है कि अरब सागर में बढ़ते तापमान की वजह से यह ये हादसा हुआ है। इससे केरल समेत इस क्षेत्र के ऊपर का वायुमंडल ऊष्मगतिकीय (थर्मोडायनेमिकली) रूप से अस्थिर हो गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, अरब सागर में तापमान बढ़ने से घने बादल बन रहे हैं, जिसके कारण केरल में कम समय में भारी बारिश हो रही है और भूस्खलन होने का खतरा बढ़ रहा है।*
- *साथ ही वैज्ञानिकों ने बताया कि सक्रिय मॉनसूनी अपतटीय निम्न दाब क्षेत्र के कारण कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कालीकट और मलप्पुरम जिलों में दो हफ्तों से भारी वर्षा हो रही है जिसके कारण मिट्टी भुरभुरी हो गई।*
- *पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल, जो पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे, ने वायनाड में आई आपदा को मानव निर्मित त्रासदी करार दिया है तथा इसके लिए केरल सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सिफारिशों को लागू करने में विफलता को जिम्मेदार ठहराया है।*

<u>माधव गाडगिल की अध्यक्षता में बना पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल</u>

- *वर्ष 2010 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) की नियुक्ति हुई जिसकी अध्यक्षता पारिस्थितिकीविद् डॉ. माधव गाडगिल द्वारा की गई।*
- *पश्चिमी घाट पर जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन और विकास गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गाडगिल आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने वर्ष 2011 में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी।*
- ***आयोग की सिफारिशें***
    - *पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के रूप में नामित कर देना चाहिए और पश्चिमी घाट के 64% हिस्से को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में वर्गीकृत करना चाहिए, जिन्हें आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र 1, आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र 2 और आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र 3 कहा जाए।*
    - *आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र 1 में अपनी शेल्फ लाइफ पूरी कर चुकी समान परियोजनाओं को बंद करने के साथ-साथ खनन, ताप विद्युत संयंत्रों और बांधों के निर्माण जैसी लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियाँ बंद होनी चाहिए।*
    - *सभी क्षेत्रों में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नए हिल स्टेशनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, आदि भी रिपोर्ट में कहा गया।*
    - *रिपोर्ट में पर्यावरण के शासन में विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया।*

- *इसने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की, जो क्षेत्र की पारिस्थितिकी का प्रबंधन करने और इसके सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक पेशेवर निकाय होना चाहिए।*
- *हितधारक राज्यों ने विकास में बाधा और आजीविका के नुकसान की आशंकाओं के बीच गाडगिल पैनल की सिफारिशों का विरोध किया।*
- *विशेष रूप से, केरल को निम्नलिखित पर आपत्ति थी-*
  - *रेत खनन और उत्खनन पर प्रस्तावित प्रतिबंध, परिवहन बुनियादी ढांचे और पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रतिबंध, पनबिजली परियोजनाओं और नदी के पानी के अंतर-बेसिन हस्तांतरण पर प्रतिबंध, और नए प्रदूषणकारी उद्योगों पर पूर्ण प्रतिबंध।*
  - *इसी के चलते 2012 में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने WGEEP के स्थान पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूर्व ISRO प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में पश्चिमी घाट पर एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन किया था।*

<u>क्या उपाय किये जाने चाहिए?</u>

- *इन चुनौतियों से निपटने के लिए, प्राकृतिक प्रक्रियाओं, पर्यावरणीय क्षरण और मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न भू-खतरों के प्रति लचीलापन विकसित करना महत्वपूर्ण है।*
- *घनी आबादी वाले क्षेत्रों में निगरानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एआई और मशीन लर्निंग (एमएल) एल्गोरिदम का उपयोग करके एक एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) का विकास महत्वपूर्ण है।*
- *दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए संसाधन दोहन और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।*
- *भारी निर्माण को प्रतिबंधित करना, प्रभावी जल निकासी प्रणालियों को लागू करना, ढलान काटने का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, तथा अवरोधक दीवारों का उपयोग करना पर्यावरण के प्रति जागरूक विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं।*
- *शहरों की उच्च-रिज़ॉल्यूशन मैपिंग और उनकी भार वहन क्षमता का आकलन प्रभावी बिल्डिंग कोड बनाने में आवश्यक घटक हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि निर्माण सुरक्षित और लचीला हो, खासकर भूस्खलन और भूकंप जैसे प्राकृतिक खतरों से ग्रस्त क्षेत्रों में।*
- *गाडगिल आयोग के दिशा-निर्देशों को क्षेत्र की संवेदनशीलता के अनुसार लागू करना चाहिए। जैसे उसमें वायनाड के प्रभावित क्षेत्रों को अत्यधिक संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया था (इन क्षेत्रों में कोई विकास नहीं होना चाहिए था)*

प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित

चर्चा का विषय	*सुर्खियों में क्यों ?*	*अन्य महत्वपूर्ण जानकारी*
तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG)	*2023 में, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब*	***<u>LNG व्यापार का अवलोकन</u>*** • *संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 में कतर और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यातक*

	अमीरात (यूएई) को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आपूर्तिकर्ता बन गया। कम कीमतों ने अमेरिकी LNG को अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है।	बन गया। **<u>भारत के संदर्भ में</u>** • भारत दुनिया का **चौथा** सबसे बड़ा LNG आयातक है। • **कतर** लगातार पांच वर्षों (2019-2023) से भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जिसमें कार्गो लगातार 10 मिलियन टन से अधिक रहा है, सिवाय 2019 के जब यह 9.7 मिलियन टन हो गया था। • इस अवधि के दौरान भारत के LNG आयात में **अफ्रीकी देशों की हिस्सेदारी में गिरावट** आई है। **<u>LNG के बारे में</u>** • LNG एक प्राकृतिक गैस है जिसका उत्पादन द्रवीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसमें प्राकृतिक गैस को -162 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान तक ठंडा किया जाता है, जिससे इसकी मात्रा लगभग 600 गुना कम हो जाती है और यह तरल अवस्था में बदल जाती है। • द्रवीकरण प्रक्रिया से अशुद्धियाँ और भारी हाइड्रोकार्बन हट जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शुद्धता वाला LNG उत्पाद प्राप्त होता है। • प्राकृतिक गैस कोयला और तेल जैसे पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक स्वच्छ और किफायती विकल्प होते हैं। • LNG लगभग पूरी तरह से मीथेन से बनी है।
चांदीपुरा एक्यूट वायरल इंसेफेलाइटिस (सीएचपीवी)	गुजरात में चांदीपुरा एक्यूट वायरल इंसेफेलाइटिस (सीएचपीवी) से कई रोगी संक्रमित पाए गए हैं।	**<u>चांदीपुरा वायरस (सीएचपीवी) के बारें में</u>** • यह खासकर मानसून के मौसम में देश के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में संक्रमण का कारण बनता है। • यह बालू मक्खियों(Sand Flies), कुछ प्रजातियाँ के मच्छरों और टिक्स जैसे वेक्टरों द्वारा फैलता है। यह वायरस इन कीटों की लार ग्रंथि में रहता है, तथा इनके

		काटने से मनुष्यों या अन्य कशेरुकी प्राणियों जैसे पालतू पशुओं में फैल सकता है। • इस बीमारी के खिलाफ़ अभी उपलब्ध उपाय केवल वेक्टर का नियंत्रण, स्वच्छता और जागरूकता बढ़ाना ही हैं। • वायरस के कारण होने वाला संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँच सकता है, जिससे एन्सेफलाइटिस यानि मस्तिष्क में सूजन हो सकती है। शरीर में रोग का विकास बहुत तेज़ी से होने की संभावना होती है। • यह संक्रमण मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों तक ही सीमित रहा है। • यह संक्रमण शुरू में फ्लू जैसे लक्षण दर्शाता है जैसे कि बुखार, शरीर में दर्द और सिरदर्द। इसके बाद यह एन्सेफलाइटिस में बदल सकता है। एन्सेफलाइटिस के बाद संक्रमण अक्सर तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होने के 24-48 घंटों के भीतर मृत्यु हो सकती है। **उपचार** • इस संक्रमण का प्रबंधन केवल लक्षणात्मक रूप से ही किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में इसके उपचार के लिए कोई विशिष्ट एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी या **टीका उपलब्ध नहीं** है।
तरलता कवरेज अनुपात	भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रस्तावित तरलता कवरेज अनुपात (LCR) के नए मानदंडों से बैंकिंग क्षेत्र पर असर पड़ने की उम्मीद है। दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अनुसार, इन बदलावों से क्रेडिट ग्रोथ में अल्पकालिक मंदी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) में कमी आ सकती है।	**तरलता कवरेज अनुपात के बारे में** • तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) अत्यधिक तरल परिसंपत्तियों के अनुपात को संदर्भित करता है जिसे वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए रखना चाहिए कि वे अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा कर सकें और बाजार में किसी भी व्यवधान से निपट सकें। • इसे 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल III सुधारों के भाग के रूप में लाया गया था। • इसके तहत बैंकों को 30 दिनों के लिए नकदी बहिर्वाह को कवर करने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति रखने की आवश्यकता होती है। इसमें नकदी, केंद्रीय बैंक के भंडार और कुछ विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। • यह एक निवारक उपाय है जिसका उद्देश्य बाजार-व्यापी झटकों का पूर्वानुमान लगाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संस्थाएं उनसे निपटने में सक्षम हों।

		<u>तरलता कवरेज अनुपात बढ़लने से संभावित प्रभाव</u> • *बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों में समायोजन करना पड़ सकता है, जिससे संभवतः उनके निवेश और ऋण देने की रणनीति प्रभावित हो सकती है।* • *जमाकर्ताओं के लिए, इसका मतलब है कि बैंक वित्तीय तनाव के दौर में भी निकासी की मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं।*
इरादतन चूककर्ता(विलफुल डिफॉल्टर)	*भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं से निपटने पर एक निर्देश जारी किया है*	***<u>इरादतन चूककर्ता का क्या अर्थ है ?</u>*** • *यदि कोई उधारकर्ता ऋण चुकाने की क्षमता होने के बावजूद जानबूझकर ऋण नहीं चुकाता है और उसकी बकाया राशि 25 लाख रुपये से अधिक होती है तो उसे 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह टैग उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने ऋण सुविधा के तहत प्राप्त धन को डायवर्ट या गबन किया है।* • *भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्दिष्ट किया है कि इरादतन चूककर्ता की पहचान उधारकर्ता के ट्रैक रिकॉर्ड पर विचार करके की जानी चाहिए और अलग-अलग घटनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए।* ***<u>भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश</u>*** • *इसके तहत बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 25 लाख रुपये और उससे अधिक की बकाया राशि वाले सभी गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) खातों में 'इरादतन चूक' की जांच करनी होगी।* • *यदि आंतरिक शुरुआती जांच में कोई जानबूझकर चूक की बात सामने आती है, तो ऋणदाता खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के छह महीने के भीतर कर्जदार को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।* • *उसके बाद पहचान समिति जानबूझकर ऋण न चुकाने के सबूतों की जांच करेगी। अगर समिति संतुष्ट हो जाती है, तो वह उधारकर्ता और अन्य जिम्मेदार पक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और 21 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहेगी।* • *25 लाख रुपये या उससे अधिक के डिफॉल्ट ऋण को अन्य ऋणदाताओं या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को हस्तांतरित करने से पहले, ऋणदाताओं*

		को इरादतन चूककर्ता के दृष्टिकोण से व्यापक जांच करनी होगी।
ई-सेहत टेली-कंसल्टेंसी	भारतीय सेना ने ई-सेहत टेली-कंसल्टेंसी की शुरुवात की है।	***<u>ई-स्वास्थ्य सहायता और टेली-परामर्श (ई-सेहत) के बारे में:</u>*** • भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई-स्वास्थ्य सहायता और टेली-परामर्श (ई-सेहत) मॉड्यूल शुरू किया है। • ई-सेहत पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में डिजिटल समावेश और दक्षता को बढ़ावा देना है। • ई-सेहत टेली-परामर्श ईसीएचएस लाभार्थियों को अपने घरों से चिकित्सा उपचार के लिए ऑनलाइन टेली-परामर्श प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। • ***<u>उद्देश्य</u>*** - सुरक्षित और संरचित वीडियो आधारित नैदानिक परामर्श के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करना। • यह अग्रणी प्रयास भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को बदल देगा, जिससे उनके घरों में समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित होगी।
प्रयोगशाला रसायनों पर सीमा शुल्क	प्रयोगशाला रसायनों पर सीमा शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि ने भारत में वैज्ञानिक समुदाय के बीच चिंता पैदा कर दी है। हाल ही में जारी बजट दस्तावेजों में इन आवश्यक अनुसंधान घटकों पर मूल सीमा शुल्क मौजूदा 10% से बढ़ाकर 150% कर दिया गया है। शोधकर्ताओं के अनुमान अनुसार जिन रसायनों की कीमत आमतौर पर ₹। लाख होती है, अब उनकी कीमत	***<u>प्रयोगशाला रसायनों के बारे में</u>*** • ***सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रयोगशाला रसायनों की परिभाषा*** - सभी रसायन, कार्बनिक या अकार्बनिक, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हों या नहीं, 500 ग्राम या 500 मिलीलीटर से अधिक पैकिंग में आयात किए जाते हैं और जिनकी शुद्धता, निर्माण या अन्य विशेषताओं के संदर्भ में पहचान की जा सकती है ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे केवल प्रयोगशाला रसायनों के रूप में उपयोग के लिए हैं। ***<u>सीमा शुल्क से छूट</u>*** • जबकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से विशिष्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र वाले सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान और विकास संगठनों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। 27 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस छूट को मार्च 2029 तक बढ़ा दिया गया है। • संभावित स्पष्टीकरणों और छूटों के बावजूद, प्रयोगशाला रसायनों पर सीमा शुल्क में वृद्धि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।

	₹2.5 लाख हो जाएगी।	